

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 382]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 11, 2016/माघ 22, 1937

No. 382]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 11, 2016/MAGHA 22, 1937

वाणिज्य और मंत्रालय

(औद्योगिक न ि और वर्धन विभाग)

(कागज अनुभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2016

का.आ. 447(अ).— (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) ी धारा 18 छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों ा प्रय रते हुए, े सर ार एतद्द्वारा न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 में संश धन े लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः—

(1) यह आदेश न्यूजप्रिंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2016 कहा जायेगा।

(2) यह सर ारी राजपत्र में इसे प्र ाशन ी तारीख से प्रभावी ह ा।

न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 में, अनुसूची में मिल े नाम एवं स्थान से संबंधित मद 4 में क्र.सं. 121 े बाद तथा इससे संबंधित प्रविष्टि में निम्नलिखित संख्या तथा प्रविष्टि ज डी जाए ी, नामतः—

“122. मैसर्स श्रीपति पेपर एंड ब र्ड प्रा. लि., इकाई-1, अन्नई ट्टम प स्ट, शिवाकाशी, विरूद्धवन र, तमिलनाडु”।

[फा. सं. 4(2)/2015-कागज]

शैलेन सिंह, संयुक्त सचिव

नोट: मूल आदेश भारत े राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में दिनांक 11 अक्तूबर, 2004 के का.आ. 1105 (अ) के द्वारा प्र ाशित ि ये ये थे और दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के का.आ. 639 (अ) के द्वारा पिछला संश धन ि या ा था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Industrial Policy and Promotion)****(PAPER SECTION)****ORDER**

New Delhi, the 9th February, 2016

S.O. 447(E).—In exercise of the powers conferred by section 18 G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Newsprint Control Order, 2004, namely:—

1. (1) This order may be called the Newsprint Control (Amendment) Order, 2016.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Newsprint Control Order, 2004, in the Schedule, in item 4 relating to the name of the mill and location, after S. No. 121, and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be added, namely:—
“122. M/s. Sripathi Paper & Boards Pvt. Ltd., Unit-I, Anaikuttam Post, Sivakasi, Virudhvnagar, Tamil Nadu”.

[F. No. 4(2)/2015-Paper]

SHAILENDRA SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1105 (E), dated the 11th October, 2004 and lastly amended vide number S.O. 639(E), dated the 1st April, 2015.